न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 38/2022

उनवान

ज़ारीलाल पुत्र जानकीलाल जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

रणमल पुत्र कानाराम
गदीश } पि0 भूरा
बूलाल }
न्दरी बेवा भूरा
समस्त जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा
स्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री परसाराम जाट एडवोकेट — वादी

पत्र इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक 22/8/22

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है । वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम लाडखानी के आराजी खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.03 है0, 1192 रकबा 0.01 है0, 1193 रकबा 0.03 194 रकबा 0.07 है0, 1195 रकबा 0.11 है0, 1203 रकबा 0.14 है0, 1353 रकबा 0.08 है0, 1354 0.07 है0, 1355 रकबा 0.07 है0, 1390 रकबा 0.19 है0, 1391 रकबा 0.08 है0, 1551 रकबा 0.17 है0, रकबा 0.33 है, 1571 रकबा 0.25 है0 ,1586 रकबा 0.16 है0, 3310 रकबा 0.29 है0 , 3311 रकबा 0. कुल किता 17 रकबा 2.41 है0 तथा आराजी खसरा नम्बर 3726 रकबा 0.13 है0, 3727 रकबा 0.14 ल किता 2 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा में स्थित है। जो साबिक नम्बर 737,739, 741, 748, 862, 864, 985,989, 993, 994, 996, 998, 1009, 2183, 2319 से बने है खातेदारी वादी के दादा लादू पुत्र हेमा के नाम से रही है। लादू पुत्र हेमा के 3 पुत्र कमशः काना जानकीलाल थे ।

उक्त आराजी में प्रतिवादीगण के पिता काना व भूरा ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांटठ कर बाला उक्त आराजी को अपने नाम करवा लिया तथा काना व भूरा की मृत्यु के बाद उनके वारिसों ने उक्त ी मुतनाजा को अपने नाम करवा लिया जिसकी जानकारी वादी को नहीं रही जबकि पहले वादी के अपने 1/3 हिस्से पर काबिज रहे है तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी काबिज काश्त है जबकि राजस्व ई में प्रतिवादीगण के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा चला आ रहा है जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त रिकार्ड दुरूस्ती बाबत वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को पर पहले तो टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 10.1.2011 को स्पष्ट मना करने पर यह वाद पत्र पेश गया ।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश होने पर विधिवत रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया र प्रतिवादीगण की तलबी की गई तथा दिनांक 17.3.2015 को प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में ज किया गया । वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के पेश होन पर वत सुनावाई की जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण नः नम्बर पर लिया गया ।

प्रकरण में प्रशासन गावों के संग अभियान में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 ने राजीनामा पेश तथा राजीनामा पेश कर जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी में वादी को 1/3 का खातेदार कार घोषित किया जाता है तो हम पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। वादी की ओर से शपथ पत्र किया गया तथा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श डलवाये गये । अधिवक्ता वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

ा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ं जा चुकी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । ादित आराजी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 737,739, 741, 748, 862, 864, 985,989, 993, 994, 998, 1009, 2183, 2319 से बनना मिलान क्षेत्रफल से जाहिर होता हैं तथा साबिक आराजी लादू वल्द कौम जाट सा0 देह के नाम जमाबन्दी सं0 2008 से 2027 में दर्ज होना साबिक होती हैं तथा वादी के पेश नामान्तकरण 233 के द्वारा जो विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 31.7.66 को ालीन सरपंच ग्राम पंचायत खोरालाडखानी द्वारा स्वीकार किया गया है में लादू पुत्र हेमा के बजाय ा, भूरिया पि0 लादू के नाम ही दर्ज किया गया है ,वादी के पिता जानकीलाल के नाम जो कि लादू का था, विरासत के नामान्तकरण में नाम दर्ज नहीं किया गया । जबकि सरपंच ग्राम पंचायत ालाडखानी द्वारा दिनांक 9.12.2010 को जारी प्रमाण पत्र में लादू पुत्र हेमा के 3 पुत्र क्रमशः काना, भूरा ानकीलाल होना बताया हैं । इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड आदि का अवलोकन करने ाया गया कि लादू पुत्र हेमा की मृत्यु उपरांत विरासत के नामान्तकरण में विवादित आराजी में वादी के जानकीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया तथा प्रतिवादीगण के अकेले ही भूमि कर दी गई । वादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से छूट गया । इस सम्बन्ध में ादी संख्या 2 लगायत 4 सहमत भी है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने कोई जवाब पेश नहीं किया तथा ना ही ण में उपस्थित आये । इस प्रकार दावा वादी के हक में डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा जी खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.03 है0, 1192 रकबा 0.01 है0, 1193 रकबा 0.03 है0, 1194 रकबा है0, 1195 रकबा 0.11 है0, 1203 रकबा 0.14 है0, 1353 रकबा 0.08 है0, 1354 रकबा 0.07 है0, 1355 0.07 है0, 1390 रकबा 0.19 है0, 1391 रकबा 0.08 है0, 1551 रकबा 0.17 है0, 1562 रकबा 0.33 है0, रकबा 0.25 है0 ,1586 रकबा 0.16 है0, 3310 रकबा 0.29 है0 , 3311 रकबा 0.35 है0 कुल किता 17 2.41 है0 वाके ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा में दर्ज खातेदार पूरणमल पुत्र काना व रूकमा ाना कौम जाट हि0 1/2 , जगदीश प्रसाद, बाबूलाल पि0 भूराराम, सुन्दरी पत्नि भूराराम हि0 1/2 ान पर पूरणमल पुत्र काना व रूकमा बेवा काना कौम जाट हि0 1/3 , जगदीश प्रसाद, बाबूलाल पि0 म, सुन्दरी पत्नि भूराराम कौम जाट हि0 1/3 तथा हजारीलाल पुत्र जानकारी लाल कौम जाट हि0 सा0 देह के नाम तथा आराजी खसरा नम्बर 3726 रकबा 0.13 है0, 3727 रकबा 0.14 है0 कुल किता बा 0.27 है0 में दर्ज खातेदार रूक्मा बेवा काना हि0 1/4 जगदीश प्रसाद, बाबूलाल पि0 भूराराम, पत्नि भूराराम हि0 1/2 के स्थान पर रूक्मा बेवा काना हि0 1/4 जगदीश प्रसाद, बाबूलाल पि0 , सुन्दरी पत्नि भूराराम हि0 1/4 व , हजारीलाल पुत्र जानकीलाल कौम जाट हिस्सा 1/4 दर्ज जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक21.8.20202 को सरै इजलास सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीणा)
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 38/2022

उनवान

ारीलाल पुत्र जानकीलाल जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
वादीगण

बनाम

णमल पुत्र कानाराम
ादीश } पि0 भूरा
ूलाल }
दरी बेवा भूरा
समस्त जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा
ास्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रतिवादीगण
)

उपस्थित :– श्री परसाराम जाट एडवोकेट – वादी

त्र इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा आराजी खसरा 1190 रकबा 0.03 है0, 1192 रकबा 0.01 है0, 1193 रकबा 0.03 है0, 1194 रकबा 0.07 है0, 1195 0.11 है0, 1203 रकबा 0.14 है0, 1353 रकबा 0.08 है0, 1354 रकबा 0.07 है0, 1355 रकबा 0.07 है0, रकबा 0.19 है0, 1391 रकबा 0.08 है0, 1551 रकबा 0.17 है0, 1562 रकबा 0.33 है0, 1571 रकबा 0.) ,1586 रकबा 0.16 है0, 3310 रकबा 0.29 है0 , 3311 रकबा 0.35 है0 कुल किता 17 रकबा 2.41 है0 ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा में दर्ज खातेदार पूरणमल पुत्र काना व रूकमा बेवा काना ाट हि0 1/2 , जगदीश प्रसाद, बाबूलाल पि0 भूराराम, सुन्दरी पत्नि भूराराम हि0 1/2 के स्थान पर ल पुत्र काना व रूकमा बेवा काना कौम जाट हि0 1/3 , जगदीश प्रसाद, बाबूलाल पि0 भूराराम, पत्नि भूराराम कौम जाट हि0 1/3 तथा हजारीलाल पुत्र जानकारी लाल कौम जाट हि0 1/3 सा0 के नाम तथा आराजी खसरा नम्बर 3726 रकबा 0.13 है0, 3727 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 रकबा है0 में दर्ज खातेदार रूक्मा बेवा काना हि0 1/4 जगदीश प्रसाद, बाबूलाल पि0 भूराराम, सुन्दरी पत्नि म हि0 1/2 के स्थान पर रूक्मा बेवा काना हि0 1/4 जगदीश प्रसाद, बाबूलाल पि0 भूराराम, सुन्दरी भूराराम हि0 1/4 व , हजारीलाल पुत्र जानकीलाल कौम जाट हिस्सा 1/4 दर्ज किये जाने के श दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे।

आज तारीख 22/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

के खर्चे

ी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
ादा पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
ड		जोड़	